

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम..... न्याय सदन

[विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवघर / डालसा समिति द्वारा आयोजित]

याची/ वादी/ परिवादी : कुंदन कुमार उपभोगा नगर सं० -
 जनाम 08/2017

प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी : इंडुसाइंड बैंक, देवघर

जिला उपभोगा न्यायालय, देवघर न्यायालय/ प्राधिकरण/ समिति की कार्यवाही संख्या

उपस्थिति :-

न्यायिक अधिकारी/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम : श्री भाते लक्ष्मी, न्याय सदन प्रथम श्रेणी, देवघर

सदस्यों का नाम : (1) श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य. जिला उपभोगा, कोरम, देवघर

(2) श्री राजेश कुमार मिश्रा, जिला न्यायाधीश

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारणा के लिए निर्दिष्ट किये गये हैं और पक्षकारों ने मामले/ विषय पर समझौता/ परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबन्धनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :- परिवारी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित है।

जिला उपभोगा विवाद संरक्षण फॉर्म देवघर के कारेशा दिनांक
के आलोक में परिवारी नै पूर्ण संतुष्टी के आधार पर चेक सं० -
100283 दिनांक 19-12-17 बैंक इंडुसाइंड बैंक का कुल लक्ष्य 2000/-
का चेक प्राप्त किया। उपभोगा नगर का मिलाना जमा होने के आधार
पर किया गया। कर्म रोगियों के बीच कोर विचार नहीं रहा।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गयी है तो यह वापस की जायेगी।

याची/ वादी/ परिवादी :

10/2/18
 न्यायिक अधिकारी : Dilip Kumar Singh सदस्य Sanjay सदस्य 10-2-18

तारीख : 10.2.18

Kundan Kumar
 प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी
 10/2/2018

Identified
 & attested by
[Signature] Petha
 10/02/18
 Advocate
 for the complainant

(प्राधिकरण/ समिति की मुद्रा)

